मांग संख्या 81

मुख्य शीर्ष 2235

मद कमांक 1

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत राज्यांश में वृद्धि होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में इस पर राशि रूपये 250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,50,,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राष्ट्र ीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार कर गरीब रेखा के नीचे सभी परिवारों के 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी सदस्यों को पेंशन का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु राशि रूपये 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 3604

मद कमांक 3

राज्य शासन को प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी निकायों को अनुदान राशि पर रूपये 2200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 22,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

प्रदेश के नगरीय निकायों के क्षेत्रांतर्गत संपत्ति के विकय के पंजीयन के फलस्वरूप फीस के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के एक प्रतिशत राशि के बराबर नगरीय निकायों को दिए जाने हेतु राशि रूपये 560.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 5,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।